

कंपनियों के विलय व बंटवारे पर तय होगा स्टॉप शुल्क

स्टॉप अधिनियम में संशोधन की तैयारी, कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगी नई व्यवस्था, अदालतों में विवाद घटेंगे व कारोबार होगा आसान

अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। राज्य सरकार कंपनियों के मर्जर (विलय), डीमर्जर (बंटवारा) और अन्य कॉरपोरेट पुनर्गठन संबंधी लेनदेन को लेकर पहली बार स्पष्ट स्टॉप शुल्क व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके लिए भारतीय स्टॉप अधिनियम 1899 की धारा 2(10) और अनुसूची-1(ख) के संबंधित प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद नई



राजस्व में 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि की उम्मीद

व्यवस्था अधिसूचना की तारीख से लागू होगी।

वर्तमान में प्रदेश में मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन (एकीकरण), रिकंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन (अधिग्रहण) जैसे कॉरपोरेट लेनदेन

पर स्टॉप शुल्क को लेकर स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहीं है। इससे कंपनियों को पुनर्गठन में शुल्क निर्धारण को लेकर अनिश्चितता और विवाद होते हैं। प्रस्ताव तैयार करते समय महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान समेत कई राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया है जहाँ ऐसे मामलों के लिए पहले से स्पष्ट प्रावधान लागू हैं।

प्रस्ताव के अनुसार मर्जर और डीमर्जर के मामलों में स्टॉप शुल्क दो आधारों में से जो अधिक होगा उसके अनुसार लिया जाएगा। यानी यूपी में स्थित अचल संपत्ति के मूल्य

पर निर्धारित प्रतिशत अथवा शेयर मूल्य एवं प्रतिफल के 0.5 प्रतिशत में जो अधिक होगा वही देय होगा। सरकार का मानना है कि इससे कॉरपोरेट लेनदेन में कानूनी स्पष्टता आएगी, मुकदमेबाजी कम होगी और कारोबार करना आसान होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस संशोधन से राज्य के राजस्व में सालाना करीब 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होगी। साथ ही बड़े कॉरपोरेट निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे नई कंपनियां यूपी का रुख करेंगी और हजारों नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

एलएलपी के मर्जर-डीमर्जर पर भी शुल्क तय होगा

नई व्यवस्था केवल कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) के मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन और टेकओवर को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। निजी लिमिटेड कंपनियों में ऐसे संविधान या शेयरधारिता परिवर्तन जिनसे प्रदेश में स्थित अचल संपत्ति के स्वामित्व पर प्रभाव पड़ता हो, उन्हें भी स्टॉप शुल्क के दायरे में शामिल किया जाएगा।

दिव्यांगजन रोजगार अभियान आज से

लखनऊ। कौशल विकास मिशन तीन से 10 अगस्त तक प्रदेशभर में दिव्यांगजन रोजगार अभियान चलाएगा। इसके तहत सभी जिलों के राजकीय आईटीआई में विशेष रोजगार मेले आयोजित होंगे जहाँ विभिन्न कंपनियां दिव्यांग युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार देंगी।

■ स्वरोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी सरकारी योजनाओं के तहत ऋण के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि अभियान के दौरान पहले लाभान्वित दिव्यांगजनों का सत्यापन भी होगा ताकि रोजगार की स्थिति का आकलन कर भविष्य की योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सके। ब्यूरो